

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वसित करियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री / श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम / द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे / पे-लेवल
1	महेन्द्र कुमार जैन राउमावि, कांगाणी सहाड़ा, भीलवाड़ा	से०नि० प्रधानाचार्य	05-01-1961	02-07-1986	30 YEAR	01-07-2016	02-07-2016	6800/- L-17
2	नवल सिंह गहलोत राउमावि बिसासर, सेड़वा, बाड़मेर	से०नि० प्रधानाचार्य	05-05-1960	12-10-1989	30 YEAR	11-10-2019	12-10-2019	L-17
3	मेवा सिंह राउमावि बैरासर छोटा, राजगढ़, चुरू	से०नि० प्रधानाचार्य	03-07-1961	20-03-1991	30 YEAR	19-03-2021	20-03-2021	L-17
4	कृष्ण लाल गहलोत राउमावि, पीलीबंगा, हनुमानगढ़	से०नि० प्रधानाचार्य	20-07-1961	15-02-1991	30 YEAR	14-02-2021	15-02-2021	L-17
5	अतरचन्द यादव श.सत्यवीर रामावि बसई भोपाल सिंह, नीमराना, अलवर	से०नि० प्रधानाध्यापक	25-07-1958	28-09-1994	20 YEAR	27-09-2014	28-09-2014	6600/-
6	दौलत राम धाकड़ राउमावि बस स्टैण्ड बेगूं चित्तौड़गढ़	से०नि० प्रधानाध्यापक	11-01-1961	25-01-1991	30 YEAR	24-01-2021	25-01-2021	L-17
7	बेला शर्मा राउमावि दसलाना शहर कोटा	से०नि० प्रधानाध्यापक	12-07-1961	02-07-1990	30 YEAR	01-07-2020	02-07-2020	L-17

एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2-3/एसीपी/2021

दिनांक : 22/11/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
- 2 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 3 संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
- 4 संबंधित अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 6 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर